मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2017 को विद्युत वितरण कंपनियों का नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न नगर निकायों पर ऊर्जा बकाये के भुगतान के संबंध में आहुत बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति विवरणी

श्री प्रत्यय अमृत,	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
श्री चैतन्य प्रसाद,	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
श्री आर0 लक्ष्मणन,	प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
श्री अभिषेक सिंह,	पटना म्युनिसिपल कमीशनर

1. दिनांक 07.12.2017 को पटना में वितरण कंपनियों के ऊर्जा बकाया एवं नगर विकास विभाग के होल्डिग टैक्स का संयुक्त रूप से जाँच किया जायेगा (मुजफ्फरपुर एवं पटना जिला छोड़कर)। दोनों विभाग सामंजित बकाये पर अंतिम निर्णय संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कर समर्पित करेगें।
2. पटना म्युनिसिपल कार्पोरेशन (पी0एम0सी0) एवं मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कार्पोरेशन (एम0एम0सी0) के विरूद्ध ऊर्जा बकाया एवं होल्डिग टैक्स के त्वरित आकलन एवं निष्पादन हेतु पटना म्युनिसिपल कार्पोरेशन (पी0एम0सी0) एवं मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कार्पोरेशन (एम0एम0सी0) द्वारा प्रस्तावित 03 (तीन) ऑडिटरों में से ऊर्जा विभाग के वितरण कम्पनियों द्वारा एक ऑडिटर का चयन कर नियुक्ति की जाएगी।
3. वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्यान्तर्गत सभी नगर निकाय दोनों वितरण कंपनियों के सभी विद्युत कनेक्शनों के चालू विद्युत विपत्र का भुगतान करेगें। विद्युत विपत्र भुगतान हेतु राशि की अनुपलब्धता रहने पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान कराने हेतु वित्त विभाग से माँग की जायेगी।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांकः– प्र02/वि0वि0भु0–29/01 (खंड) 338 **पटना, दिनांकः–** 02/08/2018

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, बिहार, पटना/म्युनिसिपल कमीशनर, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\OFFICE FILE vipul\2018\A W\ज्योति मैडम letter